मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 642/1133/4 चार/बी–1/2010 भोपाल, दिनांक 16 /07/2010

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय भोपाल

विषय –वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये आयोजना मद के अन्तर्गत त्रैमासिक कार्ययोजना एवं बजट आवंटन।

संदर्भ – वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 233/1133//चार/बी–1/2009 दिनांक 18/03/2010, पत्र क्रमांक 270/1133/चार/बी–1/2010 दिनांक 26/03/2010, पत्र क्रमांक 412/1133/चार/बी–1/2010 दिनांक 26/04/2010 एवं 633/1133/चार/बी–1/2010 दिनांक 15/07/2010.

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में आयोजना अन्तर्गत आने वाले वेतन, पेंशन, छात्रवृति आदि मदों के आहरणों में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि निम्नलिखित उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत आने वाली राशि का आहरण पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध कराये गये आवंटन के विरूद्ध किया जा सकेगा :–

11–वेतन, भत्ते
13–पेंशन तथा अनुशंगिक लाभ
16– वेतन, भत्ते (अखिल भारतीय सेवा)
24–परीक्षा एवं प्रशिक्षण
41–छात्रवृत्तियॉं एवं वृत्तियॉं
53–डिक्री धन का भुगतान (भारित)

वित्तीय वर्ष के दौरान बजट नियंत्रण अधिकारी उपरोक्त मदों में आवश्यकतानुसार राशि व्यय कर सकते हैं।

(अमित राठौर)
संचालक, बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. कमांक 643 /1133/09/ चार/बी–1/2010 भोपाल, दिनांक 16 /07/2010

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. समस्त अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. समस्त बजट शाखाऐं, वित्त विभाग।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)<br>
अवर सचिव<br>
**मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग**

2

**मध्य प्रदेश शासन**
**वित्त विभाग**
**मंत्रालय**

क्रमांक 633/1133/चार/बी–1/2010 भोपाल, दिनांक 15/07/2010

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय भोपाल

विषय –वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये आयोजना मद के अन्तर्गत त्रैमासिक कार्ययोजना एवं बजट आवंटन।

संदर्भ – वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 233/1133//चार/बी–1/2009 दिनांक 18/03/2010, पत्र क्रमांक 270/चार/बी–1/2010 दिनांक 26/03/2010 एवं पत्र क्रमांक 412/1133/चार/बी–1/2010 दिनांक 26/04/2010.

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा अवगत कराया गया है कि आयोजना मद मे व्यय की त्रैमासिक व्यवस्था के फलस्वरूप केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्रीय सहायता/केन्द्र क्षेत्रीय/केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुक्रम में प्राप्त होने वाली राशियों का आहरण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि केन्द्र से राशि प्राप्त न हो जाये। इसके साथ ही कुछ योजनाओं की राशियॉ वित्तीय वर्ष के किन्हीं विशेष त्रैमास में ही व्यय की जाती है यथा छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति आदि। वर्तमान व्यवस्था अनुसार यदि इन योजनाओं में प्रावधानित राशि निर्धारित त्रैमास में व्यय नहीं हो पाती है तो अव्ययित राशि चतुर्थ त्रैमास में ही उपलब्ध हो पायेगी। जिससे केन्द्र शासन से प्राप्त होने वाली राशि एवं ऐसी राशियॉ जिनका विशेष त्रैमास में उपयोग किया जाना हो, का समय पर उपयोग नहीं हो पायेगा।

2/ उपरोक्त कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्रीय सहायता/केन्द्र क्षेत्रीय/केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओ के तहत सहायतित योजनाएं जिनमें केन्द्र शासन से राशि अप्राप्त/अंशतः प्राप्त राशि के कारण किसी त्रैमास की राशि व्यय न हो पायी हो एवं राज्य योजनान्तर्गत ऐसे व्यय जो अपरिहार्य कारणों से किसी विशेष त्रैमास में किया जाना हो, उनके संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि बीते हुए किसी त्रैमास की अव्ययित/अप्रयुक्त राशि चालू या आगामी किसी त्रैमास में वित्त विभाग की सहमति के पश्चात पुनर्वितरण कर प्रावधानित की जा सकेंगी।

(अमित राठौर)
**संचालक, बजट**
**मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग**

पृ. क्रमांक / /चार/बी–1/2010 भोपाल, दिनांक /07/2010

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. समस्त अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

**मध्य प्रदेश शासन**
**वित्त विभाग**
**मंत्रालय**

कमांक 412 / 1133 / चार / बी– 1 / 2010 भोपाल, दिनांक 26 / 04 / 2010

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषय -- वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये आयोजना मद के अन्तर्गत कार्ययोजना एवं बजट आवंटन।
संदर्भ – वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक 233 / 1133 / 2009 / चार / बी–1 दिनांक 18 / 03 / 2010 एवं 270 / चार / ब–1 / 10 दिनांक 26 / 03 / 2010.

–00–

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का द्वारा वर्ष 2010–11 के प्रथम त्रैमास के व्यय हेतु कुल आयोजनागत बजट प्रावधान का 25 प्रतिशत भाग व्यय हेतु जारी करने के साथ ही यह अनुरोध किया गया था कि समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उनके विभाग के अन्तर्गत आने वाले आयोजनागत प्रावधानों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार व्यय की त्रैमासिक कार्ययोजना दिनांक 22 / 03 / 2010 तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाये। प्रथम त्रैमास के लिये बजट आवंटन वृद्धि के प्रस्ताव दिनांक 05 / 05 / 2010 तक ही वित्त विभाग में संबंधित बजट शाखा में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

आगामी त्रैमासों की कार्ययोजना के बजट आवंटन हेतु आपके विभाग से संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे कार्यालय, आयुक्त कोष एवं लेखा से दिनांक 10 / 05 / 2010 को कार्ययोजना से संबंधित सॉफ्टवेयर की सी.डी आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें एवं इसमे प्रविष्टि कर (सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी सहित) दिनांक 17 / 05 / 2010 तक आयुक्त, कोष एवं लेखा कार्यालय में प्रस्तुत करे।

उपरोक्त तिथि तक कार्ययोजना प्राप्त न होने की स्थिति में वित्त विभाग द्वारा आगामी त्रैमासों हेतु भी शेष बजट प्रावधान को बराबर–बराबर भाग में ही जारी कर दिया जावेगा, जिसमें पुनः परिवर्तन करने का विकल्प विभागों को उपलब्ध नहीं होगा।

**(मनीष रस्तोगी)**
**सचिव**
**मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग**

पृ. 413 / 1133 / चार / बी–1 / 2010 भोपाल, दिनांक 26 / 04 / 2010
प्रतिलिपि –

1. आयुक्त कोष एवं लेखा, म.प्र., भोपाल,
2. बजट नियंत्रण अधिकारी——————
3. समस्त अपर सचिव / अवर सचिव, वित्त विभाग
3. समस्त बजट शाखाऍं , वित्त विभाग

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु

**अवर सचिव**
**मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग**

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 270/चार/ब–1/10 भोपाल, दिनांक 26/03/2010

प्रति,

अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव / सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

विषयः– वर्ष 2010–2011 का आयोजनागत बजट आवंटन ।
संदर्भः– वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 233/1133/2009/चार/बजट–1,दि0 18.3.10

उपरोक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कोषालयीन सर्वर में आयोजनागत् बजट आवंटन संचालनालय कोष एवं लेखा के सर्वर पर डालने हेतु कृपया निम्न कार्यवाही आवश्यक रूप से किये जाने का कष्ट करें।

(I) वित्त वर्ष 2010–2011 के प्रथम त्रैमास के व्यय हेतु आयोजना बजट की कुल राशि का 25 % भाग ही आयुक्त कोष एवं लेखा को (डी.डी.ओ को आवंटित की जाने वाली राशि) कोषालय सर्वर में डालने के लिये प्रस्तुत किया जाये।

(II) प्रथम त्रैमास में यदि किन्हीं मदों में आयोजना व्यय के लिए 25% राशि से अधिक राशि की आवश्यकता होती है तो विभाग, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर राशि सर्वर में लोड करा सकते हैं।

(III) यह ध्यान रखा जावे कि जो आयोजना बजट एवं कंडिका (II) अनुसार अतिरिक्त राशि प्रथम त्रैमास के लिए सर्वर में प्रविष्ट कराई जायेगी, उक्त तिमाही के अंत में व्यय हेतु शेष राशि का उपयोग विभाग द्वारा 30.6.2010 के बाद नहीं किया जा सकेगा । अतः प्रथम त्रैमास की राशि का आवंटन इस बात को ध्यान में रखकर ही सुनिश्चित किया जावें।

(IV) आयोजनेतर मद में पूर्व वर्षो के अनुसार कोषालय सर्वर पर पूर्ण वर्ष के लिये राशि डाली जायेगी।

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त
विभाग

पृ0क0 271 / चार / ब–1 / 10 भोपाल, दिनांक 26 / 03 / 2010

प्रतिलिपिः–

1. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी, म0प्र0।

2. आयुक्त, कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल की ओर भेज अनुरोध है कि वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ष 2010–2011 के बजट आंकड़ों में सम्मिलित योजनागत राशि का 25 प्रतिशत् भाग ही बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास हेतु जारी किया जाने का कष्ट करें।

3. समस्त बजट शाखायें वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. अपर संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, ।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त
विभाग

तत्काल

90

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

कमांक 233/1133/2009/चार/बजट–1, भोपाल, दिनांक 18/03/2010

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः– वर्ष 2010–2011 का बजट आवंटन ।

–::000::–

वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान विधान सभा में प्रस्तुत हो चुके हैं । राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष में आयोजना मदों के अन्तर्गत त्रैमासिक आवंटन किया जाकर व्यय हेतु राशि उपलब्ध करायी जायेगी । प्रत्येक तिमाही में उपलब्ध कराये गये आवंटन की राशि जो उक्त तिमाही के अन्त में शेष रहेगी, अगली तिमाही में व्यय हेतु उपलब्ध नहीं रहेगी । इस राशि को मुक्त करने के संबंध में निर्णय वित्तीय वर्ष 2010–11 की अंतिम तिमाही में विभागीय आवश्यकता का परीक्षण करने के उपरान्त किया जावेगा ।

उपरोक्तानुसार समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती हैं कि वे उनके विभाग अन्तर्गत आने वाले आयोजनागत प्रावधानों के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए आवश्यकतानुसार त्रैमासिक व्यय का विवरण, ( up to Scheme Code level ) वित्त विभाग को 22.3.2010 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार त्रैमासिक बजट आवंटन समय पर जारी किया जा सके ।

इस हेतु आवश्यक सॉफटवेयर वित्त विभाग स्थित एफ.एम.आई.एस. द्वारा दिनांक 18.3.2010 से उपलब्ध कराया जा रहा हैं ।

( जी0 पी0 सिंघल )
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठ0 कमांक 234/1133/2009/चार/बजट–1, भोपाल, दिनांक 18/03/2010

प्रतिलिपि :–

1. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्य प्रदेश ।
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश, भोपाल, कृपया आयोजना के अन्तर्गत कोषालय सर्वर पर त्रैमासिक आवंटन ही आहरण संवितरण अधिकारीवार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।
3. समस्त बजट शाखाऐं, वित्त विभाग ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

( अदिति कुमार त्रिपाठी )
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग